न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 11/2026

अजमत खान पुत्र रमजान खान निवासी उपर का मौहल्ला ग्राम कोटला पुलिस थाना आकेड़ा जिला नूह हरियाणा।

................प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर

............अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री जगमोहन सेन अभिभाषक प्रार्थी

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

–:आदेश:–

दिनांक–13.03.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना किशनगढ अजमेर द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 व सपठित धारा 3, 5, 8, 9, 10 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात या विनियमन) अधिनियम 2015 के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 को सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 का रजिस्टर्ड स्वामी/मालिक है, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर द्वारा धारा 6 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 2015 व सपठित धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन के अभाव में काफी

जिला कलक्टर
अजमेर

परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 को सुपुर्दगीनामें पर छोड़ने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर ने अपनी टिप्पणी क्रमांक 805 दिनांक 25.02.2026 में अवगत कराया कि प्रकरण संख्या 221/2025 धारा 3, 5, 8, 9, 10 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 2015 में घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 2015 को जब्त किया था उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है, प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर RJ-14-GK-5943 के संबंध में पंजीकृत वाहन स्वामी से भी अनुसंधान किया जा चुका है तथा उपरोक्त वाहन के सबंध में प्रकरण में अन्य कोई अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मुल्जिमात के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 3, 5, 8, 9, 10 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 2015 में जप्तशुदा वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 से सम्बन्धित तफ्दीश पूर्ण हो चुकी होना थानाधिकारी किशनगढ जिला अजमेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त ऊंटो को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उक्त ऊंट एक राज्य से दूसरे राज्य में ले लाने बाबत प्रार्थी के पास सक्षम स्तर से कोई स्वीकृति आदेश नहीं था, जब्तशुदा ऊंटो को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दुगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमात के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 2015 व सपठित धारा 3, 5, 8, 9, 10 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 2015 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 2015 की धारा 6 व सपठित धारा 3, 5, 8, 9, 10 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 2015 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगीनामा अन्तर्गत धारा 497/503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर छोड़ने हेतु निवेदन किया गया हैं। अतः जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर-कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में

जिला कलक्टर
अजमेर

जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 पर रूपये 1,00,000/—अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर एवं प्रार्थी से वाहन स्वामित्व सबंधित दस्तावेज प्राप्त कर थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला —अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर उक्त वाहन संख्या RJ-14-GK-5943 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर,अजमेर